(5)

# न्यायालय श्री जगजीत सिंह मोंगा, R.A.S. अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 01/2020 (जीसीएमएस संख्या : 2020/00001)
सरकार जरिये तहसीलदार, सांगानेर, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. नाथी देवी पुत्री श्री बद्री पत्नी श्री रामफूल चौधरी, जाति–जाट, निवासी–सदारामपुरा, तहसील–चाकसू जिला–जयपुर।
2. नैना देवी पुत्री श्री बद्री, जाति–जाट, निवासी–केश्यावाला, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
3. प्रबन्धक, आन्ध्रा बैंक, बडी का बास, तहसील–सांगानेर।

अप्रार्थीगण,

( राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या–532 दिनांक 18.09.2019 ग्राम–केश्यावाला )

उपस्थिति :–

1. पेरोकार सरकार।
2. श्री इशान गुप्ता, अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से।
3. श्री मो0 शाहिद हसन, अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 02/2020 (जीसीएमएस संख्या : 2020/00002)
सरकार जरिये तहसीलदार, सांगानेर, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. बालूराम पुत्र श्री बद्री, जाति–जाट, निवासी–केश्यावाला, तहसील–सांगानेर।
2. रामकरण पुत्र श्री बद्री, जाति–जाट, निवासी–केश्यावाला, तहसील–सांगानेर।
3. नाथी देवी पुत्री श्री बद्री पत्नी श्री रामफूल चौधरी, जाति–जाट, निवासी–सदारामपुरा, तहसील–चाकसू जिला–जयपुर।
4. नैना देवी पुत्री श्री बद्री, जाति–जाट, निवासी–केश्यावाला, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
5. प्रबन्धक, आन्ध्रा बैंक, बडी का बास, तहसील–सांगानेर।
6. सरपंच, ग्राम पंचायत मुहाना, तहसील–सांगानेर।

अप्रार्थीगण,

( राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या–533 दिनांक 25.09.2019 ग्राम–केश्यावाला )

उपस्थिति :–

1. पेरोकार सरकार।
2. श्री इशान गुप्ता, अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 03 व 04 की ओर से।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

3. श्री मो0 शाहिद हसन, अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 05 की ओर से।
4. अप्रार्थी संख्या 01, 02 व 06 बावजूद तामील अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

**निर्णय** दिनांक : 13.07.2021

सम्वत् 2072–2075 ग्राम केश्यावाला की आराजी खाता संख्या–122 के खसरा नंबर 192 रकबा 0.22 है0, 198 रकबा 1.45 है0, 199 रकबा 0.01 है0, 200 रकबा 0.02 है0, 211 रकबा 0.06 है0 कुल किता 5 रकबा 1.76 है0 की खातेदारी अप्रार्थिया नाथीदेवी व नैनादेवी के नाम दर्ज थी जिसमें अप्रार्थिया नाथीदेवी व नैना देवी का हिस्सा 2/27 आन्ध्रा बैंक बडी का बास टोंक रोड के नाम राहिन दर्ज था।

खाता संख्या 169 के खसरा नंबर 701 रकबा 2.03 है0, 702 रकबा 2.50 है0, 776 रकबा 1.67 है0, 785 रकबा 1.05 है0, 786 रकबा 2.74 है0, 800 रकबा 0.03 है0, 819 रकबा 0.01 है0, 820 रकबा 1.03 है0 कुल किता 8 रकबा 11.06 है0 की खातेदारी अप्रार्थिया नाथीदेवी व नैनादेवी के नाम दर्ज थी जिसमें अप्रार्थिया नाथीदेवी व नैना देवी का हिस्सा 2/54 आन्ध्रा बैंक बडी का बास टोंक रोड के नाम राहिन दर्ज था।

खाता संख्या 170 के खसरा नंबर 273 रकबा 0.02 है0, 274 रकबा 0.37 है0, कुल किता 2 रकबा 0.39 है0 की खातेदारी अप्रार्थिया नाथीदेवी व नैनादेवी के नाम दर्ज थी जिसमें अप्रार्थिया नाथीदेवी व नैना देवी का हिस्सा 2/54 आन्ध्रा बैंक बडी का बास टोंक रोड के नाम राहिन दर्ज था।

खाता संख्या 206 के खसरा नंबर 58 रकबा 0.25 है0, 206 रकबा 0.39 है0, 207 रकबा 0.90 है0, 209 रकबा 0.30 है0, 217 रकबा 0.03 है0, 223 रकबा 0.69 है0, 224 रकबा 0.20 है0, 225 रकबा 0.22 है0, 226 रकबा 0.05 है0, 228 रकबा 0.06 है0, 229 रकबा 0.03 है0, 265 रकबा 0.53 है0, 277 रकबा 0.44 है0, 278 रकबा 0.43 है0, 279 रकबा 0.02 है0, 291/886 रकबा 0.06 है0, 294/887 रकबा 0.06 है0, 788 रकबा 0.40 है0, 795 रकबा 0.06 है0, 796 रकबा 0.03 है0 कुल किता 20 रकबा 5.15 है0 की खातेदारी अप्रार्थिया नाथीदेवी व नैनादेवी के नाम दर्ज थी जिसमें अप्रार्थिया नाथीदेवी व नैना देवी का हिस्सा 2/27 आन्ध्रा बैंक बडी का बास टोंक रोड के नाम राहिन दर्ज था।

खाता संख्या–207 खसरा नंबर 56 रकबा 0.59 है0, 57 रकबा 0.21 है0, 204 रकबा 0.11 है0, 205 रकबा 0.34 है0 कुल किता 4 रकबा 1.25 है0 की खातेदारी अप्रार्थिया नाथीदेवी व नैनादेवी के नाम दर्ज थी जिसमें अप्रार्थिया नाथीदेवी व नैना देवी का हिस्सा 2/27 आन्ध्रा बैंक बडी का बास टोंक रोड के नाम राहिन दर्ज था।

(6)

–बदस्तुर काश्तकार के स्थान पर रहन मुक्ति का नामान्तरकरण संख्या 532 पटवारी हल्का ने दिनांक 05.09.2019 को भरकर पेश किया है, दिनांक 06.09.2019 को भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी जांच रिपोर्ट अंकित की है और दिनांक 18.09.2019 को तहसीलदार, सांगानेर ने स्वीकृत किया है। इसके पश्चात् नामान्तरकरण संख्या–533 रजिस्टर्ड हकत्याग के आधार पर पटवारी हल्का ने दिनांक 23.09.2019 को भरकर पेश किया है, दिनांक 24.09.2019 को भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी जांच रिपोर्ट अंकित की है और ग्राम पंचायत जग्गनाथपुरा के प्रस्ताव संख्या–2 दिनांक 25.09.2019 के अनुसार सरपंच ने दिनांक 25.09.2019 को स्वीकृत किया है, उक्त दोनों नामान्तरकरण संख्या–532 व 533 के विरूद्ध पृथक–पृथक रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुऐ हैं।

उक्त आशय के रेफरेन्स प्रर्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार रजिस्टर कराये जाकर नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गऐ। रेफरेन्स संख्या 01/2020 में अप्रार्थीगण जरिऐ अभिभाषक हाजिर आये। रेफरेन्स संख्या 02/2021 में अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 6 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीसंख्या 3, 4 व 5 जरिये अभिभाषक हाजिर आऐ। चूंकि प्रकरण संख्या 01 व 02 में अंकित आराजी एक ही है और दोनों प्रकरण एक दूसरे से संबंधित है। पक्षकार समान है अतः दोनों प्रकरणों की बहस एक साथ समाअत की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान् पेरोकार सरकार का कथन है कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी नाथीदेवी व नैनादेवी के हिस्से अनुसार अप्रार्थी प्रबंधक आन्ध्रा बैंक बडी का बास तहसील सांगानेर के नाम राहिन दर्ज थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 26.08.2019 को तहसील कार्यालय में अप्रार्थी नाथीदेवी व नैनादेवी का एक प्रार्थना–पत्र रहनमुक्त करने बाबत् प्रस्तुत हुआ जिसके साथ दिनांक 05.08.2019 का बैंक के रहनमुक्ति आदेश की प्रति संलग्न थी, जिस पर तहसील आदेशांक 987 दिनांक 28.08.2019 द्वारा पटवारी को प्रेषित किये जाने पर वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 532 दिनांक 05.09.2019 को नामान्तरकरण दर्ज किया गया जो दिनांक 18.09.2019 को राजस्व अधिकरी द्वारा निर्णित किया गयां है। नामान्तरकरण संख्या 532 रहनमुक्त स्वीकृत दिनांक 18.09.2019 द्वारा आनलाईन जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 ग्राम केश्यावाला तहसील–सांगानेर में अप्रार्थी नाथीदेवी व नैनादेवी के दर्ज हिस्से अनुसार रहनमुक्त किया गया है। इसके पश्चात् दिनांक 09.10.2019 को अप्रार्थी नाथीदेवी पुत्री बद्री पत्नी रामफूल चौधरी, निवासी–सदारामपुरा द्वारा तहसील कार्यालय में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया है कि उनके द्वारा लिये गये ऋण की राशि 157021.75 रूपये दिनांक 01.10.2019 तक बकाया है तथा पूर्व में दिनांक

26.08.2019 को प्रस्तुत आवेदन फर्जी है तथा दिनांक 05.08.2019 का आंध्रा बैंक बडी का बास के रहनमुक्ति आदेश की प्रति फर्जी, बनावटी कूटरचित है। प्रबन्धक आन्ध्रा बैंक बडी का बास टोंक रोड जयपुर द्वारा अपने पत्रांक 1896/52/514 दिनांक 03.10.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में कभी भी आन्ध्रा बैंक बडी के बास के रहनमुक्ति आदेश की कोई प्रति उनके द्वारा जारी नहीं की गयी है। सम्वत् 2074–2077 ग्राम केश्यावाला की जमाबन्दी में दर्ज वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वाद संख्या–306/2019 न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 26 के द्वारा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति का नोट लगा हुआ है। प्रबन्धक, आन्ध्रा बैंक बडी का बास टोंक रोड जयपुर द्वारा पत्रांक 1896/52/514 दिनांक 03.10.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में कभी भी आन्ध्रा बैंक, बडी के बास के रहनमुक्ति आदेश की कोई प्रति उनके द्वारा जारी नहीं की गई है। नामान्तरकरण संख्या 532 रहनमुक्त स्वीकृत दिनांक 18.09.2019 को खारिज फरमाया जावे क्योंकि यह नामान्तरकरण कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दर्ज करवाकर तस्दीक करवाया गया है। नामान्तरकरण संख्या 532 रहनमुक्त स्वीकृत दिनांक 18.09.2019 कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दर्ज करवाकर तस्दीक करवाये जाने के कारण एफ.आई.आर की कार्यवाही सम्बन्धित थाना में की जा रही है। अतः नामान्तरकरण संख्या 532 रहनमुक्त स्वीकृत दिनांक 18.09.2019 कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दर्ज करवाकर तस्दीक करवाये जाने के कारण खारिज फरमाया जावे। कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 532 तस्दीक हुआ है। इस अवैध नामान्तरकरण के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 533 दिनांक 25.09.2019 स्वीकृत हुआ है। अतः ग्राम केश्यावाला, तहसील–सांगानेर के नामान्तरकरण संख्या 533 हकत्याग स्वीकृत दिनांक 25.09.2019 को निरस्त फरमाया जावे क्योंकि नामान्तरकरण संख्या 532 रहनमुक्त स्वीकृती दिनांक 18.09.2019 कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दर्ज करवाकर तस्दीक करवाया गया है तथा इस नामान्तकरण संख्या 532 की स्वीकृति के क्रमानुक्रम में नामान्तरकरण संख्या 533 हकत्याग स्वीकृत दिनांक 25.09.2019 ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाये जाकर नामान्तरकरण संख्या 532 व 533 ग्राम–केश्यावाला को निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थिया नाथीदेवी व नैनादेवी के विद्वान् अभिभाषक श्री ईशान गुप्ता का कथन है कि ग्राम केश्यावाला, तहसील–सांगानेर के सम्वत् 2072 से 2075 में खाता संख्या–122, खाता संख्या–169, खाता संख्या–170, खाता संख्या–206, खाता संख्या–207 में वर्णित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वर्णितानुसार अप्रार्थिया नाथीदेवी व नैनादेवी के

दर्ज हिस्से में है तथा आन्ध्रा बैंक, बडी का बास, टोंक रोड, जयपुर के नाम राहिन है। यह कहना गलत है कि, दिनांक 26.08.2019 को तहसील कार्यालय में अप्रार्थिया नाथीदेवी व नैनादेवी ने वादग्रस्त आराजी को रहनमुक्त करने के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हो। नामान्तरकरण संख्या–532 के बाबत् जिन दस्तावेजो के आधार पर कार्यवाही की है वह अप्रार्थिया नाथीदेवी व नैनादेवी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये बल्कि अप्रार्थिया नाथीदेवी व नैनादेवी की फर्जी अंगुठा निशानी करते हुए तथा आन्ध्रा बैंक, बडी का बास का रहन मुक्ति आदेश 05.08.2019 फर्जी व कूटरचीत बनाते हुए बालूराम पुत्र बद्री एवं रामकरण पुत्र बद्री जाति–जाट, निवासियान–ग्राम केश्यावाला द्वारा रमेश जाट एवं छाजू उर्फ राजवीर जाति–जाट, निवासियान–ग्राम केश्यावाला जो कि बालूराम के लडके हैं के साथ मिलीभगत कर राजस्व पदाधिकारियों को धोखा देकर फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर करवाये गये हैं। दिनांक 09.10.2019 को अप्रार्थिया नाथीदेवी पुत्री बद्री पत्नी रामफूल चौधरी, निवासी–सदारामपुरा द्वारा तहसील कार्यालय में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें ऋण की राशि 157021.75 रूपये दिनांक 01.10.2019 तक बकाया होने तथा पूर्व में दिनांक 26.08.2019 को प्रस्तुत आवेदन फर्जी होना तथा दिनांक 05.08.2019 का आंध्रा बैंक बडी के बास के रहनमुक्ति आदेश की प्रति फर्जी, बनावटी कूटरचित होना सूचित किया है। प्रबन्धक आन्ध्रा बैंक बडीका बास टोंक रोड जयपुर द्वारा अपने पत्रांक 1896/52/514 दिनांक 03.10.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में कभी भी आन्ध्रा बैंक बडी के बास के रहनमुक्ति आदेश की कोई प्रति उनके द्वारा जारी नहीं की गयी है। स्थगन आदेश वाद के पक्षकारान ने आपसी मिलीभगत से करवाया है। नामान्तरकरण संख्या 532 रहनमुक्त स्वीकृत दिनांक 18.09.2019 को खारिज फरमाया जावे क्योंकि यह नामान्तरकरण कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दर्ज करवाकर तस्दीक करवाया गया है। नामान्तरकरण संख्या 532 रहनमुक्त स्वीकृत दिनांक 18.09.2019 कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दर्ज करवाकर तस्दीक करवाये जाने के कारण एफ.आई.आर संख्या 1314 एवं 1312 सन् 2019 मुहाना थाना दक्षिण में जरिये परिवाद राकेश कुमार चौधरी एवं गिरिराज चौधरी ने दर्ज करवा रखी है जिसमें अनुसंधान लम्बित है। इसके पश्चात् स्वीकृत किये गये हकत्याग नामान्तरकरण संख्या–533 स्वीकृत दिनांक 25.09.2019 की अप्रार्थिया नाथीदेवी व नैनादेवी को कोई जानकारी नहीं थी तथा रजिस्टर्ड हकत्याग के बारे में भी अप्रार्थिया नाथीदेवी व नैनादेवी को कोई जानकारी नहीं थी। यह सब कार्यवाही अप्रार्थी बालूराम व रामकरण ने मिलीभगत से एक सोची समझी योजना बनाकर की है ताकि अप्रार्थिया नाथीदेवी व नैनादेवी को उनके हिस्से

की भूमि से महरूम कर हडप सके। अतः नामान्तरकरण संख्या 532 रहनमुक्त स्वीकृत दिनांक 18.09.2019 कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दर्ज करवाकर तस्दीक करवाये जाने के कारण खारिज फरमाया जावे। कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 532 तस्दीक हुआ है। इस अवैध नामान्तरकरण के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 533 दिनांक 25.09.2019 स्वीकृत हुआ है। अतः ग्राम केश्यावाला, तहसील–सांगानेर के नामान्तरकरण संख्या 533 हकत्याग स्वीकृत दिनांक 25.09.2019 को निरस्त फरमाया जावे क्योंकि नामान्तरकरण संख्या 532 रहनमुक्त स्वीकृती दिनांक 18.09.2019 कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दर्ज करवाकर तस्दीक करवाया गया है तथा इस नामान्तकरण संख्या 532 की स्वीकृति के क्रमानुक्रम में नामान्तरकरण संख्या 533 हकत्याग स्वीकृत दिनांक 25.09.2019 ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाये जाकर नामान्तरकरण संख्या 532 व 533 ग्राम–केश्यावाला को निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी प्रबंधक आन्ध्रा बैंक बडी का बास के विद्वान् अभिभाषक श्री मो0 शाहिद हसन का कथन है कि अप्रार्थिया नाथीदेवी व नैनादेवी ने अपनी आराजी को रहन रखकर बैंक ऋण प्राप्त किया था जिसकी अदायगी आज दिनांक तक अप्रार्थिया नाथीदेवी व नैनादेवी ने नहीं की है और इनके जिम्मे ऋण की राशि शेष है। अप्रार्थी प्रबंधक आन्ध्रा बैंक बडी का बास को तहसील कार्यालय में रहनमुक्ति प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.08.2019 एवं बैंक के रहनमुक्ति आदेश दिनांक 05.08.2019 व पटवारी के द्वारा नामान्तरकरण दर्ज किये जाने की कोई जानकारी नहीं थी। नाथी देवी एवं नैना देवी द्वारा अप्रार्थी आन्ध्रा बैंक को बैंक की फर्जी मोहर एवं फर्जी हस्ताक्षर के कूटरचित प्रार्थना–पत्र बैंक का नाम रहन से हटाने एवं बैंक का खाता दिनांक 05.08.2019 प्रस्तुत किये जाने पर जानकारी हुई थी। आन्ध्रा बैंक को जैसे ही जानकारी हुई तो पुलिस अधिक्षक (साउथ) जयपुर एवं पुलिस थाना शिवरासपुरा जयपुर को दिनांक 25.11.2019 को एक तहरीरी एफ.आई.आर लिखकर फर्जी सील मोहर लगाने व फर्जी हस्ताक्षर अप्रार्थी संख्या 3 के करने वालो के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु भेजी थी। जिसकी कार्यवाही आज तक लम्बित है। किन व्यक्तियों के द्वारा कूटरचित फर्जी दस्तावेज बनाकर नामान्तरकरण खुलवाया गया इसके बारे में आन्ध्रा बैंक को कोई जानकारी नहीं है और ना ही कोई सम्बंध व सरोकार है। बैंक के द्वारा रहनमुक्ति हेतु कोई आदेश जारी नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में रहनमुक्ति का जो नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है वह निरस्तनीय है। आन्ध्रा बैंक बडी का बास की ऋण की राशि रूपये 1,57,021/– (अक्षरे एक लाख सत्तावन हजार इक्कीस रूपये) व ब्याज बकाया

है तथा फर्जी बनावटी कूटरिचत बैंक के रहन मुक्ति आदेश व आन्ध्रा बैंक बडी का बास के हस्ताक्षर व बैंक की फर्जी सील मोहर है। प्रार्थना-पत्र पर आन्ध्रा बैंक बडी का बास के फर्जी हस्ताक्षर किये गये है तथा बैंक की फर्जी मोहर लगाई गई है। इस फर्जकारी तथा कूटरचित दस्तावेज को बनाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधिक्षक (साउथ) व पुलिस थाना शिवदासपुरा को तहरीरी रिपोर्ट दर्ज करने हेतु जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. पत्र के द्वारा भेजी गई है। जिसमें कार्यवाही लम्बित है। वादग्रस्त आराजी के बाबत् न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीन एवं महानगर मजिस्ट्रेट 26 के द्वारा मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति का नोट लगा हुआ होने के बाबत् कोई जानकारी नही है। अतः नामान्तरकरण संख्या 532 रहनमुक्त स्वीकृत दिनांक 18.09.2019 कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दर्ज करवाकर तस्दीक करवाये जाने के कारण खारिज फरमाया जावे। कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 532 तस्दीक हुआ है। इस अवैध नामान्तरकरण के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 533 दिनांक 25.09.2019 स्वीकृत हुआ है। अतः ग्राम केश्यावाला, तहसील-सांगानेर के नामान्तरकरण संख्या 533 हकत्याग स्वीकृत दिनांक 25.09.2019 को निरस्त फरमाया जावे क्योंकि नामान्तरकरण संख्या 532 रहनमुक्त स्वीकृती दिनांक 18.09.2019 कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दर्ज करवाकर तस्दीक करवाया गया है तथा इस नामान्तकरण संख्या 532 की स्वीकृति के क्रमानुक्रम में नामान्तरकरण संख्या 533 हकत्याग स्वीकृत दिनांक 25.09.2019 ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाये जाकर नामान्तरकरण संख्या 532 व 533 ग्राम-केश्यावाला को निरस्त फरमाया जावे।

हमने उभय-पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण संख्या 532 के अवलोकन से जाहिर होता है कि इसमें पटवारी हल्का के द्वारा मुताबिक दस्तावेज नामान्तरकरण दर्ज है स्थगन नहीं है नामान्तरकरण वास्ते जांच एवं निर्णय प्रस्तुत है, की रिपोर्ट की है इसके पश्चात् भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 06.09.2019 को मुताबिक रिपोर्ट पटवारी, उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 व रहनमुक्ति आदेश संख्या भू0अ0/नाकरण/2019/987 दिनांक 28.08.2019 अंकन तुलनात्मक है, की रिपोर्ट की है। तत्पश्चात् तहसीलदार, सांगानेर द्वारा दिनांक 18.09.2019 को नामान्तरकरण को स्वीकृत किया गया है। हालांकि पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित नहीं किया है कि उसके द्वारा किन दस्तावेजों के आधार पर रहनमुक्ति का नामान्तरकरण भरकर प्रस्तुत किया गया है और न ही भू-अभिलेख निरीक्षक ने इस बाबत् कोई स्पष्ट रिपोर्ट अंकित की

(11)

है। अधीनस्थ तहसीलदार, सांगानेर ने भी इस संबंध में कोई विस्तृत जांच करने की प्रक्रिया नहीं अपनाई है परन्तु प्रकरण के सम्पूर्ण परिपेक्ष्य में नाथीदेवी पुत्री बद्री पत्नी श्री रामफूल चौधरी के प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.10.2019 द्वारा यह प्रकट किये जाने पर कि उसके द्वारा अपनी कृषि भूमि पर जरिये खाता संख्या–189613100001644 लिया गया ऋण चालू है और उसके द्वारा ऋण की राशि जमा नहीं कराई गई है और न ही मेरे ऋण के पूर्ण चुकने बाबत् आन्ध्रा बैंक ने एन.ओ.सी. जारी की है। नाथीदेवी के कथन की पुष्टि आन्ध्रा बैंक में उसके खाता संख्या–189613100001644 के विवरण पत्र दिनांक 01.10.2019 से होती है जिसमें उसकी ओर 1,57,021.75 रूपये बकाया होना अंकित है और इस विवरण पत्र पर बैंक द्वारा अंकित किया गया है कि खाता चालू है और कोई एनओसी जारी नहीं की गई है। द्वितीय कथन की पुष्टि आन्ध्रा बैंक द्वारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट को जारी किये गये पत्र संख्या एलआर.न.1896/52/514 दिनांक 03.10.2019 की फोटोप्रति जिसमें बैंक द्वारा अंकित किया गया है कि उनके द्वारा अभी तक नाथी देवी एवं नैना देवी को क्लोजर सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है, से होती है। नाथीदेवी के अभिभाषक द्वारा किये गये कथन की आन्ध्रा बैंक के अभिभाषक द्वारा वरवक्त बहस पुष्टि की गई है। उनके द्वारा वरवक्त बहस बैंक द्वारा नाथीदेवी एवं नैनादेवी की ओर बकाया राशि के संबंध में कोई एनओसी जारी किये जाने से इन्कार किया है। दोनों ऋणियों की ओर ऋण की राशि बकाया होने तथा खाता चालू स्थिति में होने का कथन किया है। बैंक की फर्जी एनओसी पर मोहर व फर्जी हस्ताक्षकर करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए तहरीरी एफआईआर दिनांक 25.11.2019 को पुलिस अधिक्षक (साउथ) जयपुर व पुलिस थाना शिवदासपुरा जयपुर को लिखा जाना जाहिर किया है जिसकी फोटोप्रति पत्रावली में उपलब्ध है। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि नाथीदेवी व नैनादेवी द्वारा बिना ऋण राशि चुकाये नामान्तरकरण संख्या–532 रहनमुक्ति स्वीकृत किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है और इस नामान्तरकरण संख्या–532 के आधार पर हकत्याग का नामान्तरकरण संख्या–533 स्वीकार किया गया है जो नामान्तरकरण संख्या–532 न्यायसंगत न होने से अपने आप ही अनुचित प्रकट हो जाता है। अतः उक्त विवेचनानुसार नामान्तरकरण संख्या–532 व नामान्तरकरण संख्या–533 निरस्त करने की राय से प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जाता है।

निर्णय की प्रति जुदागाना–जुदागाना पत्रावली पर रखी जावे। निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 13.07.2021 को सुनाया गया।

(जगजीत सिंह मोंगा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर